


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
मैसर्स शक्ति माल्ट इण्डस्ट्रीज बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण  
176/19 (जीसीएमएस नम्बर 2019/00123)

जारीख हुकम

04.08.21

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। प्रकरण में रूक-रूककर फिर से कई बार आवाज दिलवाई गई किन्तु अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आये है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2019 से विचाराधीन चल रहा है तथा तथा अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ अपीलाधीन आदेश की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत नहीं की है तथा पूर्व में भी अपीलान्ट की ओर से न्यायालय के समक्ष कोई भी उपस्थित नहीं रहे है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट अदम-हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जानी उचित प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ़्तर हो। आदेश सुनाया गया।

  
(दिनेश कुमार यादव)  
संभारी मय आयुक्त,  
जयपुर